नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/1/21	पत्रावली पेश हुए। आज अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 8.2.21 को पेश हो। Mk
	08-02-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादीगण श्री हनुमान जी जोशी उप. नहीं आये हैं। प्रा. पत्र O-1, R-10 CPC के जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। आइंदा पेशी पर जवाब प्रा. पत्र 1R10/ बहस प्रा. पत्र हेतु पेश करने हेतु न्याय हित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है। आइंदा पेशी पर जवाब पेश नहीं होने अथवा अनुपस्थित होने पर जवाब बंद किया जायेगा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र 1R10/ बहस हेतु दिनांक 15-02-2021 को पेश हो। Mk
	15-2-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। बहस प्रा. पत्र 1R10 CPC पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25-02-21 को पेश हो। Mk
	25/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या-1 और 6 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रा. पत्र अं. धा. 151 एवं वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने पूर्व में प्रस्तुत प्रा. पत्र O-1, R-10 CPC पर जवाब प्रस्तुत करने व बहस किये जाने हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। प्रस्तुतकर्ता वकील प्रा. पत्र O-1, R-10 CPC की नकल अन्य पक्षकारान को दिखायी गयी। इस पर अनापत्ति जाहिर की गयी। अतः न्याय हित में प्रा. पत्र O-1, R-10 CPC पर जवाब प्रस्तुत करने व बहस हेतु अवसर दिया जाता है। उपरोक्त वकील श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा इनके प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से जवाब प्रा. पत्र O-1, R-10 CPC प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिलायी गयी व शामिल मिसल किया गया। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दि. 09-03-2021 को पेश हो। Mk

फर्द अहकाम

हरनयाल बनाम हरणमल

न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर लेक

संख्या 88/10

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	09/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 22/3/21 पेश हो।	
	22/3/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा (आदेश [illegible]) कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 15/4/21 को पेश हो। [illegible] पेश हुआ, [illegible] शामिल [illegible] (आदेश 26/8/19 की पालना में)	
	15/4/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 13/5/21 को पेश हो।	
	13/5/21	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. ~~चुनाव~~, अन्य कार्य में व्यस्त है। ~~चुनाव~~/ अन्य कार्य में दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10.6.21 को पेश हो।	
	10/6/21	पत्रावली पेश हुई। ~~P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है।~~ अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 8/7/21 को पेश हो	
	8/7/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 16/8/21 को पेश हो।	
	16/8/21	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. चुनाव, अन्य कार्य में व्यस्त है। चुनाव/ अन्य कार्य में दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5.10.21 को पेश हो।	
	4/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 5/10/21 पेश हो।	
	5/10/21	पत्रावली "प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021" के तहत कैंप ...[illegible]... पर पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित हैं। पत्रावली का निस्तारण आपसी सहमति व राजीनामें से संभव नहीं होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/21 को पेश हो। शिविर प्रभारी	
	23/12/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~दौरे पर पधारे हुए है।~~ [illegible] हो गए अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 25/2/22 को पेश हो।	
	25/2/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22/4/22 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	22/4/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। दुबारा/अन्य कार्य में [illegible] पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3.6.22 को पेश हो।
	3/6/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।
	19/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 16/8/22 पेश हो। बहस प्रा. पत्र 1 R.10 CPC हेतु समय चाहा गया है। पर्याप्त समय दिया जा चुका है न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है।
	16/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 6/10/22 पेश हो।
	6/10/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/[illegible] पर पधारे हैं। अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/11/22 को पेश हो।
	3/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 5/12/22 पेश हो।
	5/12/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश/दौरे पर पधारे हैं। अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/01/23 को पेश हो। ~~हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है। प्रा. 1 R.10 CPC की बहस हित में [illegible] भी [illegible] अंतिम [illegible] दिया जाता है। आइन्दा पेशी पर [illegible] अवसर में [illegible] जायेगी [illegible] बहस पेश [illegible] पधारे हैं। पी. ओ. सा. दौरे पर [illegible] अमल तिथि पर पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली [illegible]~~
	20/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 2/3/23 पेश हो।
	2/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 13/4/23 पेश हो।

फर्द अहकाम

सूरजमल बनाम पूरणमल

न्यायालय

संख्या दावा 44/10

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	13/4/23	पत्रावली पेश [illegible] नहीं उपस्थित है। पक्षकारान [illegible] पत्रावली [illegible] 25/5/23 [illegible] है रजि [illegible] (हस्ताक्षर)	
	03/6/23	पत्रावली [illegible] अभियान–2023 के [illegible] अभिकथन...... पर पेश हुई। वादीगण/[illegible] उपस्थित/अनुपस्थित हैं। पत्रावली का [illegible] आपसी सहमति व राजीनामे से संभव नहीं होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/8/23.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) शिविर प्रभारी	
	7/8/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय, अवकाश/दौरे पर पधारे हैं। अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/9/23 को पेश हो।	
	11/9/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित है पक्षकारान वकील उ[illegible]। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 23/10/23 पेश है।	
		श्रीमान जिला कलक्टर महो. [illegible] के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~[illegible]~~ किशनगढ़ को प्रेषित की / जाती है।	
	23/10/23	न्यायलय सहायक कलक्टर सांभरलेक से हस्तान्तरित होकर पत्रावली आज पेश हुई पक्षकारान उपस्थित / अनुस्थित। गत आदेशिका की पालना नहीं हुई पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 30/11/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	30/11/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उ[illegible] है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29/12/23..... को पेश है। (हस्ताक्षर)	
	29/12/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील [illegible] पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 28/2/24... को पेश है। (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकामं

सुरमनाथ बनाम धेरामल

न्यायालय

क्रम संख्या ३६/०

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/2/24	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 27/3/24 को पेश है।
	27/3/24	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/4/24 को पेश है।
	5/4/24	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान। पक्षकारान वादी व प्रतिवादी की ओर से उनके [illegible] पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 1/5/24 को पेश हो।
	1/5/24	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान। पक्षकारान वादी व प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 29/5/24 को पेश हो।
	29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष० उप० है। O।R।O पर पेशकार्ता उप० नहीं है। अतः O।R।O खारिज की जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5/6/24 को पेश हो।
	5/6/24	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील [illegible] आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/7/24 को पेश है।

शिवि

फर्द अहकाम

हरजमल बनाम पूरणमल

न्यायालय

संख्या 88/10

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० है। मुताबिक राजीनामे के अनुसार वकील उभयपक्ष० द्वारा वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया अतः पत्रावली के अवलोकन व बहस के आधार, राजीनामे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। ~~[illegible]~~ निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान।

Presented by Adv. Shivraj Singh
Reader Examine & Report
3/8/10

वाद सं0 88/10/2010
3.8.10

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1व 2जा0दी0

1- सुरजमल पुत्र श्री ईश्वर जाति जाट उम्र 59 साल निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।

.....वादी/प्रार्थी

बनाम

1- पूरणमल पुत्र श्री रामू जाति जाट उम्र 38साल नि0 रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।

2- प्रभुदयाल पुत्र रामू उम्र 36साल

3- श्रीमती छोटी बेवा रामू उम्र 70साल

4- बनवारीलाल पुत्र अर्जुन उम्र 35 साल

5- मोहनलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र अर्जुन उम्र 30साल

6- महिपाल पुत्र दानाराम उम्र 38 साल

7- सुखाराम पुत्र दानाराम उम्र 36 साल

8- बुद्धाराम पुत्र दानाराम उम्र 34 साल

9- गुलाबचंद पुत्र दानाराम उम्र 28साल

10- श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री दानाराम उम्र वर्ष

11- श्रवण पुत्र ईश्वरराम उम्र 49साल

12- प्रहलाद सहाय पुत्र गणपत उम्र 46साल

13- सीताराम पुत्र गणपत उम्र 35 साल

14- सुरेन्द्र कुमार पुत्र गणपत उम्र 30 साल

15- / मालीराम पुत्र कुशला उम्र 65साल

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।

16- जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभरलेक जरिये मैनेजर

17- भारतीय स्टैट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा जरिये मैनेजर

18- तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0सांभरलेक

....प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ऐ0

माान्यवरजी,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1- यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं01ल0 15 संयुक्त खातेदारी की आराजी वाकै ग्राम रामपुरा प0क्षे0 मलिकपुरा तहसील फुलेरा में खसरा नंबर 68 रकबा 27बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें चालू रिकोर्ड में वादी के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं011 के 1/8 हिस्सा, व प्रतिवादी सं0 6ल012 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 व 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 का 1/8 हिस्सा ~~प्रतिवादी सं0 3 का 1/6हिस्सा~~ व प्रतिवादी सं01 व2 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है वादी का नाम चालू जमाबंदी में.अपभ्रंश सूजा पुत्र ईसरा के नाम से दर्ज है।

2- यह कि इसी प्रकार वाकै ग्राम रामपुरा प0क्षे0 मलिकपुरा मेंआराजी खसरा नंबर 8 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा स्थित है जिसमें चालू रिकोर्ड मे अन्य सह खातेदारो के अलावा प्रतिवादी सं015 का 1/6हिस्सा व प्रतिवादी सं0 12ल014 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे दज़ है इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 2 बिस्वा

गै0मु0 चाह व खसरा नंबर 126 रकबा 19बीघा 4बिस्वा मे चालू रिकोर्ड में प्रतिवादी सं015 का 1/6हिस्सा दर्ज है व प्रतिवादी सं012ल014 का 1/6हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा में प्रतिवादी सं015 का 1/ 4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 12ल014 का 1/4 हिस्सा दर्ज है।

3- यह कि वरवक्त परचा सैटलमेंट आराजी खसरा नंबर 68 रकबा 27बीघा 19बिस्वा के 1/3 हिस्से को स्व0 कुशला काश्त करता था तथा 1/3 हिस्से को स्व0 ईश्वर व 1/3 हिस्से के स्व0 नानू काश्त करते थे इसी प्रकार परचा खातेदारी आनी चाहिए थी सहवन से परचा सैटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही से उक्त आराजी का परचा 1/2हिस्से का ईश्वर के नाम व 1/2 हिस्से का नानू के नाम परचा आ गया। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 8 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा, 125 व 126 रकबा 19बीघा 6बिस्वा के 1/3 हिस्से पर ईश्वर व नानू बराबर हिस्से मे तथा खसरा नंबर 3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा के 1/2हिस्से पर ईश्वर व नानू बराबर हिस्से पर काश्त करते थे लेकिन परचा सैटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही से स्व0 कुशला के नाम आया जबकि कुशला ने उक्त आराजी को काश्त नही की कुशला की मृत्यु के बाद स्व0गणपत के व मालीराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी तथा मृतक गणपत की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं012ल014 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी । उक्त आराजी खसरा नंबर 3 के 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी सं0 4ल010 व 11 व 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी सं01ल03 काबिज है तथा इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 8 व 125 व 126 के 1/6 हिस्से पर वादी व प्रतिवादी सं0 4ल010 व 11 व 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी सं01ल03 काबिज है।इसी प्रकार काश्त करते है लगान अदा करते है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार का है जिससे वादी का कोई विवाद नहीं है।

4- यह कि मृतक ईश्वर के चार लडके अर्जुन,दानाराम, वादी सुरजमल व श्रवण है जिनमे से अर्जुन व दानाराम की मृत्यु हो चुकी है अर्जुन के दो लडके बनवारी व मोहनलाल प्रतिवादी नंबर 4 व 5 है तथा दानाराम की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके चार लडके महिपाल,सुरजाराम बुद्वाराम, व गुलाबचन्द है व एक लडकी श्रीमती भंवरीदेवी है। जो प्रतिवादी सं06ल010 है इसी प्रकार कुशला की भी मृत्यु हो चुकीहै जिसके गणपत व मालीराम दो पुत्र है जिनमे से गणपत की मृत्यु हो चुकी है गणपत के तीने लडके प्रहलाद,सीताराम, सुरेन्द्र, है जो प्रतिवादी सं012ल014 है इस प्रकार आराजी खसरा नंबर 68 मे जो 1/3 हिस्सा ईश्वर के नाम था उसमें 1/12हिस्सा वादी का 1/12हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 व 5 का तथा 1/12हिस्सा प्रतिवादी सं0 6ल010 का 1/12हिस्सा प्रतिवादी सं011 का है तथा 1/3 हिस्सा जो नानू का था उसके 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं01 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं02 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादीनि सं03 का है। लेकिन रिकोर्ड में प्रतिवादी सं01 व2 का 1/2हि. दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 68 मे जो 1/3 हिस्सा स्व0कुशला का था जिसमें 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 12ल014 का है व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं015 का है। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 8,125,126, में से जो 1/3 हिस्सा ईशरा व नानू का था उसमें 1/24 हिस्सा वादी का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं04 व5 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6ल010 का, 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं011 का है। तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं01 का, 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं02 का व 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं03 का है। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 3 मे जो 1/2 हिस्सा स्व0 ईशरा व नानू का था उसमे 1/16 हिस्सा वादी का 1/16हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 व5 का एवं 1/16हिस्सा प्रतिवादी सं0 6ल010 का व 1/16हिस्सा प्रतिवादी सं011 का है इसी प्रकार 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं01 का, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं02 का व 1/12हिस्सा प्रतिवादी सं03 का है ।

ईशरा का पिता जयराम था तथा जयराम के पिता पदमा थे इसी प्रकार नानू के पिता दीपा व दीपा के पिता पदमा थे इस प्रकार ईशरा व नानू दोनो के दादा का नाम पदमा था तथा एक ही वंशज है। तथा वर्तमान मे इसी प्रकार काबिज है काश्त करते है व लगान अदा करते है।

5- यह कि वादी व प्रतिवादी सं01ल015 आपस में एक ही कुटुम्बी व नजदीकी भाईबन्ध होने से एक दूसरे केनाम आयी गलत खातेदारी की दुरूस्ती हेतु एक दूसरे को कहते रहे वादी के बुजुर्ग व पिता स्व0ईश्वर अनपढ व भोले व्यक्ति थे तथा पुराने समय में लोगो में भाईचारा व प्रगाढ़ विश्वास व प्रेम था इसलिए वे आश्वस्त रहे कि परचा खातेदारी दुरूस्त करवा देगे जब वादी को उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई तो वादी ने सर्वप्रथम दिनांक 31.11.95 को कुशला पुत्र जैसाराम को रिकोर्ड दुरूस्ती की कहा तो कुशला पुत्र जैसाराम ने पुराने कब्जे केअनुसार एक लिखावट 10/-रूपये के स्टाम्प पर वादी व स्व0 दानाराम, अर्जुनलाल व रामूराम पुत्र नानू के हक मे एक लिखावट लिखकर आश्वस्त कर दिया लिखावट के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3 में अपना 1/2 हिस्सा व खसरा नंबर 8 व 125 व 126 मे दर्ज 1/3 हिस्सा अपने नाम खातेदारी मे गलत दर्ज है का 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं011 एवं दाना व अर्जुनलाल के नाम व 1/2 हिस्सा स्व0 रामूराम के नाम 1/2दर्ज करवाने की सहमति दी व कब्जा व स्वामित्व वादी व उसके भाईयो का होना स्वीकार किया था तथा इसी प्रकार एक लिखावट वादी व स्व0 अर्जुनलाल, दानाराम व श्रवण, स्व0रामूराम ने आराजी खसरा नंबर 68 रकबा 27बीघा बीसा 19बिस्वा के 1/3 हिस्सा की भूमि स्व0 कुशला के नाम करवाने के सम्बन्ध मे स्व0 कुशला पुत्र जैसाराम के हक मे लिखकर तहरीर व तकमील कर कब्जा व स्वामित्व 1/3हिस्ससा स्वीकार कर उसके नाम खातेदारी

दर्ज करवाने का आश्वासन दिया व राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती करवाने का एक दूसरे को लिखावट लिखकर देकर आश्वस्त किया तथा एक दूसरे के विश्वास को कायम रखा।

6- यह कि वादी भारतीय सेना मे गत 36 वर्षो से सेवारत रहा है तथा अवकाश पर आने पर अन्य कई कार्यो मे व्यस्त रहता था फिर भी इस कार्य के लिए प्रयासरत रहा वादी ने अपने उच्च अधिकारियो के माध्यम से भी उक्त रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र व इकरारनामा दिनांक 31.1.95 के आधार पर रिकोर्ड मे अमल करने का निवेदन प्रोपर माध्यम से किया लेकिन उक्त रिकोर्ड आज तक दुरूस्त नहीं हो सका वादी जब भी छुट्टी पर आता तो प्रतिवादी सं015 व स्व0 गणपत एवं कुशला यही आश्वासन देते रहते थे कि कभी गांव में कैम्प लगेगा तब तुम छुट्टिया लेकर आ जाना गांव मे ही बैठकर रिकोर्ड दुरूस्ती करवा देगे कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही तथा तुम्हे हमने लिखकर भी दे दिया है। इसलिए भविष्य में किसी प्रकार की कोई फेरबन्दी नहीं होगी। वादी व उसके भाईयो के कब्जे काश्त व स्वत्व अधिकारो से प्रतिवादी सं012ल015 ने कभी इंकार नहीं किया है तथा ना ही कभी कब्जे में कोई दखल दी है इसलिए वादी आश्वस्त रहा ।

7- यह कि वादी वर्ष 2008 में रिटायर्ड हो गया है तथा रिटायर्डमेंट के बाद जब भी वादी ने प्रतिवादी सं01ल015 को मौके के कब्जे के अनुसार रिकोर्ड दुरूस्ती हेतु कहा तो वे आश्वासन देते रहे लेकिन अंतिम बार दिनांक 20.7.10 को वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादी सं01ल015 आनाकानी करने लगे तथा न्यायालय में चाराजोरी करने को कहा तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी तथा उक्त भूमि रहन बैय मुंतकिल करने व बिना

विभाजन मनचाही जगह अवैध निर्माण करने की धमकी दी । प्रतिवादी सं06ल010 ने प्रतिवादी नं012ल015 की सह पर पत्थर डाल लिये है तथा निर्माण कार्य करने को उतारू है जिसे वादी ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से रोका लेकिन उन्होने धमकी दी है कि वे रात बिरात मौका देखकर मनचाही जगह निर्माण कर लेगे इसलिए वादी को अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु घोषणा व स्थायी निषे0 का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि राजस्व रिकोर्ड में पक्षकारो के नाम खातेदारी का अंकन वरवक्त परचा सैटलमेंट से गलत चला आने के कारण आ0खं0नं068 में प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभर से ऋण ले लिया व खसरा नंबर 8 में प्रतिवादी सं014 ने गलत अंकन के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा से तथा इसी नंबर में प्रतिवादी सं015 ने गलत अंकन के आधार पर जयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभर से ऋण ले लिया है व खसरा नंबर 125 व126 में भी प्रतिवादी सं015 ने इसी बैंक से ऋण ले रखा है व खसरा नंबर 125 व 126 में प्रतिवादी सं014 ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा से ऋण ले रखा है व खसरा नंबर 3 में प्रतिवादी सं014 व 15 ने इन्हीं बैंको से ऋण लेकर रहन का इन्द्राज बैंको के नाम करवा रखा है इसलिए कानूनी अड़चने उत्पन्न हो रही है एवं बिना कब्जा व बिना अधिकार के केवल राजस्व रिकोर्ड में अंकन के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व2 व 14 व 15 ने उक्त ऋण लिये है इसलिए उक्त रहन का इन्द्राज वादी के अधिकारो के विरूद्व बातिल व बेअसर है। अन्य प्रतिवादीगण भी अन्य खसरा नंबरान पर अपने नाम गलत अंकन के आधार पर नाजायज फायदा उठाते हुये अन्य बैंक व संस्थाओ से ऋण लेने व उक्त भूमि को रहन बैंय मुंतकिल करने को उतारू है तथा मन चाही

जगह निर्माण कर भूमि का स्वरूप परिवर्तित करने को उतारू है जो वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने को उतारू है तथा कानूनी अड़चने उत्पन्न कर वादी के वैधिक अधिकारो को प्रभावित करने को प्रयत्नशील है अगर प्रतिवादीगण अपने प्रयासो में सफल हो गये तो वादी को अपूर्तिनीय क्षति होगी, अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

- यह कि प्रतिवादी नंबर 1व 2 तथा प्रतिवादी नंबर 14 व15 द्वारा ऋण लेकर अपनी भूमि का रहन का इन्द्राज जयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभर व भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा के इन्द्राज करवाने से उन्हें इस मुकदमें में आवश्यक पक्षकार मुकदमा प्रतिवादी सं0 16 व 17 बनाया गया है। विवादित भूमि के अन्य सह खातेदारो से कोई विवाद नही है इसलिए उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। एवं तहसीलदार फुलेरा लैण्ड होल्डर सरकार होने से उन्हें घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी सं018 मुकदमा बनाया गया है।

10- यह कि वादकारण विरूद्व प्रतिवादीगण 1ल015 दिनांक 20.7.10 को राजस्व रिकोर्ड में कब्जे के अनुसार दुरूस्ती करवाने से इंकार करने से व न्यायालय में चाराजोरी करने की कहने से व वादी को बेदखल करने की धमकी देने से व विवादित भूमि रहन बैय मुंतकिल करने की धमकी देने से एवं मनचाही जगह निर्माण करने की धमकी देने से बमुकाम रामपुरा प.क्षे. मिलिकपुर तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान उत्पन्न हुआ है जो श्रीमान् के न्यायिक क्षेत्राधिकार में है व श्रीमान् को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है।

1- यह कि बेअदाय कोर्ट फीस दावा घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0 के तृ0परि0 के अनुसार 1/-रूपये के स्टाम्प पर व दावा स्थायी निषे0 के हेतु अ0धारा 188 रा0टी0ऐ0 के तृ0परि0 केअनुसार 1/-रूपये के स्टाम्प पर कुल 2/-रूपये की कोर्ट फीस पर दावा पेश है जो पर्याप्त है व दावा इन्हीं धाराओ में अंदर मियाद है।

2- यह कि वादी निम्न प्रार्थना का अधिकारी है:-

क- यह कि वादी का वाद बाबत घोषणा इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वादी ग्राम रामपुरा प0क्षे0 मलिकपुरा तहसील फुलेरा की आराजी खसरा नंबर 8 रकबा 43 बीघा 19बिस्वा, खसरा नंबर 125 रकबा 2बिस्वा गै0मु0चाह, खसरा नंबर 126 रकबा 19बिघा 4बिस्वा किता 3 रकबा 63 बीघा 7बिस्वा के 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी नंबर 4 व 5 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 6ल010 , 1/24 हिस्से के , प्रतिवादी सं0 11 का 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी सं01 ल0 3 का 1/6 हिस्से, खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 24बीघा 1 बिस्वा में वादी 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी सं04 व 5,1/16 हिस्से के, प्रतिवादी सं06ल010 1/16 हिस्से के, प्रतिवादी सं011 1/16 हिस्से के, व प्रतिवादी सं0 1 ल03 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। तथा आराजी खसरा नंबर 68 रकबा 27बीघा 19 बिस्वा के 1/3हिस्से का प्रतिवादी सं012ल015, 1/12 हिस्से का वादी व 1/12हिस्से प्रतिवादी सं04 व 5 का 1/12 हिस्से के प्रतिवादी सं06ल010 व 1/12हिस्से का प्रतिवादी सं011 , एवं 1/3हिस्से के प्रतिवादी सं01ल03 खातेदार काश्तकार है।

ख- यह कि प्रतिवादी सं01ल015 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को वाकै ग्राम रामपुरा प0क्षे0 मलिकपुरा तहसील फुलेरा में स्थित आराजी खसरा नंबर8,125,126, के 1/24

हिस्से से व खसरा नंबर 3 के 1/16 हिस्से में व खसरा नंबर 68 के 1/12हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त आराजी के किसी भाग को रहन बैय मुंतकिल नहीं करे तथा उक्त भूमि के किसी भाग पर बिना विभाजन ऋण लेकर रहन नहीं करे तथा ना ही किसी भाग पर बिना विभाजन कोई निर्माण करे और ना ही विवादित भूमि स्वरूप परिवर्तन करे, रहन बैय मुंतकिल न करने हेतु सूचना सब रजिस्ट्रार रेनवाल का प्रेषित की जावे।

ण– यह कि डिक्री की अनुपालना में राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावे ।

घ– यह कि अन्य सहायता जो न्यायहित में वादी के हक में हो दिलवायी जावे।

वादी

30/7/10

सत्यापन

मै सुरजमल पुत्र श्री ईश्वर जाति जाट उम्र 59 साल निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत मिलकपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान का हूं और आज दिनांक...30.7.10.....को बमुकाम सांभर सत्यापित करता हूं कि वाद पत्र का मद नंबर 1ल010 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है व मद नंबर 11 कानूनी है व मद नंबर 12 प्रार्थना है जो भी सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।

सत्यापनकर्ता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी – अभिमन्यु सिंह कुन्तल R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 88/10 पुराना, 21/23 नया दायर तारीख :– 03.08.10

1. सूरजमल पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल।

वादी

बनाम

1. पूरणमल पुत्र रामू जाति जाट
2. प्रभुदयाल पुत्र रामू
3. श्रीमति छोटी बेवा रामू
4. बनवारीलाल पुत्र अर्जुन
5. मोहनलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र अर्जुन
6. महिपाल पुत्र दानाराम
7. सुखाराम पुत्र दानाराम
8. बुद्धाराम पुत्र दानाराम
   8/1.सन्तोष उर्फ सन्तोषी पत्नी स्व बुद्धाराम
   8/2. मुकेश पुत्र स्व0 बुद्धाराम
   8/3. सुभाष पुत्र स्व बुद्धाराम
9. गुलाबचन्द पुत्र दानाराम
10. श्रीमति भवरीदेवी पुत्री दानाराम
11. श्रवण पुत्र ईश्वरराम
12. प्रहलाद पुत्र गणपत
13. सीताराम पुत्र गणपत
14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गणपत
15. मालीराम पुत्र कुशला
    समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल
16. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभर जरिये मैनेजर
17. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा जरिये मैनेजर
18. तहसीलदार महोदय तह0 कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री अताउल्ला खॉ , अधिवक्ता वादीगण
श्री हनुमान जाखड , अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 15
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 10/7/24

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 15 सयुंक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम रामपुरा प0 क्षे0 मलिकपुरा तहसील फुलेरा में खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें चालू रिकार्ड मेंवादी के नाम 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी सं0 11 के 1/8 हिस्सा, व प्रतिवादी सं0 06 लगायत् 12 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 व 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी न0 3 का 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को प्रत्येक का 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है वादी का नाम चालू जमाबन्दी में अपभ्रंश सूजा पुत्र ईसरा के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का मलिकपुरा में आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का व 1/12 हिस्सा सं0 3 का है। ईशरा का पिता जयराम था जयराम के पिता पदमा थे इसी प्रकार नानू के पिता दीपा व दीपा के पिता पदमा थे इस प्रकार ईशरा व नानू दोनो के दादा का नाम पदमा था तथा एक ही वंशज है। तथा वर्तमान में इसी प्रकार काबिज है काश्त करते है व लगान अदा करते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत् 15 आपस में एक ही कुटुम्बी व नजदीकी भाईबन्ध होने से एक दूरसरे के नाम आयी गलत खातेदारी की दुरूस्ती हेतु एक दूसरे को कहते रहे वादी के बुजुर्ग व पिता स्व ईश्वर अनपढ व भोले व्यक्ति थे तथा पुराने समय में लोंगों में भाईचारा व प्रगाढ विश्वास व प्रेम था इसलिए वे आश्वस्त रहे कि परचा खातेदारी दुरूस्त करवा देंगें जब वादी को उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई तो वादी ने सर्वप्रथम दिनांक 31.01.95 को कुशला पुत्र जैसाराम को रिकार्ड दुरूस्ती की कहा तो कुशला पुत्र जैसाराम ने पुराने कब्जे के अनुसार एक लिखावट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3 में अपना 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 8 व 125 व 126 में दर्ज 1/3 हिस्सा अपने नाम खातेदारी में गलत दर्ज है का 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 11 एंव दाना व अर्जुनलाल के नाम व 1/2 हिस्सा स्व0 रामूराम के नाम दर्ज करवाने की सहमति दी व कब्जा व स्वामित्व वादी व उसके भाईयो का होना स्वीाकार किया था तथा इसी प्रकार एक लिखावट वादी व स्व0 अर्जुनलाल, दानाराम व श्रवाण, स्व0 रामूराम ने आरजी खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा के 1/3 हिस्सा की भूमि स्व कुशला के नाम करवाने के सम्बन्ध में स्व0 कुशला पुत्र जैसाराम के ह कमे लिखकर तहरीर व तकमील कर कब्जा व स्वामित्व 1/3 हिस्सा स्वीकार कर उसके नाम खातेदारी दर्ज करवाने का आश्वासन दिया व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने का एक दूसरे को लिखावट लिखकर देकर आश्वस्त किया तथा एक दूसरे के विश्वास को कायम रखा। वादी भारतीय सेना में गत 36 वर्षो से सेवारात रहा है तथा अवकाश पर आने पर अन्य पर अन्य कई कार्यो में व्यस्त रहता था फिर भ इस कार्य के लिए प्रयासरत रहा वादी ने अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से भी उक्त रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने का प्राथ्रना पत्र इकारनामा दिनांक 31.01.95 के आधार पर रिकार्ड में अमल करने का निवेदन प्रोपर माध्यम से किया लेकिन उक्त रिकार्ड आज तक दुरूस्त नहीं हो सका वादी जब भी छुट्टी पर आता तो प्रतिवादी सं0 15 व स्व गणपत एंव कुशला यही आश्वासन देते रहते थे कि कभी गांव में कैम्प लगेगा तब तुम छुट्टिया लेकर आ जाना गांव में ही बैठकर रिकोर्ड दुरूस्ती करवा देंगें कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही तथा तुम्हे हमने लिखकर भी दे दिया है। इसलिए भविष्य में किसी प्रकार की कोई फेरबन्दी नहीं होगी । वादी व उसके भाईयों के कब्जे काश्त व स्वत्व अधिकारो से प्रतिवादी सं0 12 लगायत् 15 ने कभी इंकार नहीं किया है तथा ना ही कभी कब्जे में कोई दखल दी इसलिए भी वादी आश्वस्त रहा । वादी वर्ष 2008 में रिटायर्ड हो गया है तथा रिटायर्डमेंट के बाद जब भी वादी ने प्रतिवादी सं0 01 लगायत् 15 को मौके के कब्जे के अनुसार रिकोर्ड दुरूस्ती हेतु कहा तो वे आवश्वसान देते रहे लेकिन अंतिम बार दिनांक 20.07.10 को वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 01 लगायत 15 आनाकानी करने लगे तथा न्यायालय में चाराजोरी करने को कहा तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी तथा उक्त भूमि रहन बैय मुंतकित करने व मनचाही जगह अवैध निर्माण करने की धमकी दी। प्रतिवादी सं0 06 लगायत् 10 ने प्रतिवादी 12 लगायत् 15 की सह पर पत्थर डाल लिये है तथा निर्माण कार्य करने करने को उतारू है जिसे वादी ने पुलिस की मदद से बडी मुश्किल से रोका लेकिन उन्होने धमकी दी है कि वे रात बिरात मौका देखकर मनचाही जगह निर्माण कर लेंगें इसलिए वादी अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया है। जिसे दिनांक 04.07.18 को तस्दीक किया गया । जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 8

1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का व 1/12 हिस्सा सं0 3 का है। ईशरा का पिता जयराम था जयराम के पिता पदमा थे इसी प्रकार नानू के पिता दीपा व दीपा के पिता पदमा थे इस प्रकार ईशरा व नानू दोनो के दादा का नाम पदमा था तथा एक ही वंशज है। तथा वर्तमान में इसी प्रकार काबिज है काश्त करते है व लगान अदा करते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत् 15 आपस में एक ही कुटुम्बी व नजदीकी भाईबन्ध होने से एक दूरसरे के नाम आयी गलत खातेदारी की दुरूस्ती हेतु एक दूसरे को कहते रहे वादी के बुजुर्ग व पिता स्व ईश्वर अनपढ व भोले व्यक्ति थे तथा पुराने समय में लोंगों में भाईचारा व प्रगाढ विश्वास व प्रेम था इसलिए वे आश्वस्त रहे कि परचा खातेदारी दुरूस्त करवा देंगें जब वादी को उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई तो वादी ने सर्वप्रथम दिनांक 31.01.95 को कुशला पुत्र जैसाराम को रिकार्ड दुरूस्ती की कहा तो कुशला पुत्र जैसाराम ने पुराने कब्जे के अनुसार एक लिखावट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3 में अपना 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 8 व 125 व 126 में दर्ज 1/3 हिस्सा अपने नाम खातेदारी में गलत दर्ज है का 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 11 एंव दाना व अर्जुनलाल के नाम व 1/2 हिस्सा स्व0 रामूराम के नाम दर्ज करवाने की सहमति दी व कब्जा व स्वामित्व वादी व उसके भाईयो का होना स्वीाकार किया था तथा इसी प्रकार एक लिखावट वादी व स्व0 अर्जुनलाल, दानाराम व श्रवाण, स्व0 रामूराम ने आरजी खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा के 1/3 हिस्सा की भूमि स्व कुशला के नाम करवाने के सम्बन्ध में स्व0 कुशला पुत्र जैसाराम के ह कमे लिखकर तहरीर व तकमील कर कब्जा व स्वामित्व 1/3 हिस्सा स्वीकार कर उसके नाम खातेदारी दर्ज करवाने का आश्वासन दिया व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने का एक दूसरे को लिखावट लिखकर देकर आश्वस्त किया तथा एक दूसरे के विश्वास को कायम रखा। वादी भारतीय सेना में गत 36 वर्षो से सेवारात रहा है तथा अवकाश पर आने पर अन्य पर अन्य कई कार्यो में व्यस्त रहता था फिर भ इस कार्य के लिए प्रयासरत रहा वादी ने अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से भी उक्त रिकोर्ड दुरूस्त किये जाने का प्राथना पत्र इकारनामा दिनांक 31.01.95 के आधार पर रिकार्ड में अमल करने का निवेदन प्रोपर माध्यम से किया लेकिन उक्त रिकार्ड आज तक दुरूस्त नहीं हो सका वादी जब भी छुट्टी पर आता तो प्रतिवादी सं0 15 व स्व गणपत एंव कुशला यही आश्वासन देते रहते थे कि कभी गांव में कैम्प लगेगा तब तुम छुट्टिया लेकर आ जाना गांव में ही बैठकर रिकोर्ड दुरूस्ती करवा देंगें कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही तथा तुम्हे हमने लिखकर भी दे दिया है। इसलिए भविष्य में किसी प्रकार की कोई फेरबन्दी नहीं होगी । वादी व उसके भाईयों के कब्जे काश्त व स्वत्व अधिकारो से प्रतिवादी सं0 12 लगायत् 15 ने कभी इंकार नहीं किया है तथा ना ही कभी कब्जे में कोई दखल दी इसलिए भी वादी आश्वस्त रहा । वादी वर्ष 2008 में रिटायर्ड हो गया है तथा रिटायर्डमेंट के बाद जब भी वादी ने प्रतिवादी सं0 01 लगायत् 15 को मौके के कब्जे के अनुसार रिकोर्ड दुरूस्ती हेतु कहा तो वे आवश्वसान देते रहे लेकिन अंतिम बार दिनांक 20.07.10 को वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 01 लगायत 15 आनाकानी करने लगे तथा न्यायालय में चाराजोरी करने को कहा तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी तथा उक्त भूमि रहन बैय मुंतकित करने व मनचाही जगह अवैध निर्माण करने की धमकी दी। प्रतिवादी सं0 06 लगायत् 10 ने प्रतिवादी 12 लगायत् 15 की सह पर पत्थर डाल लिये है तथा निर्माण कार्य करने करने को उतारू है जिसे वादी ने पुलिस की मदद से बडी मुश्किल से रोका लेकिन उन्होने धमकी दी है कि वे रात बिरात मौका देखकर मनचाही जगह निर्माण कर लेंगें इसलिए वादी अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया है। जिसे दिनांक 04.07.18 को तस्दीक किया गया । जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 8

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा जो राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है जिसमें मुताबिक राजीनामा अब 1/18 हिस्सा मालीराम पुत्र कुशला राम, 1/18 प्रहलाद, सुरेन्द्र कुमार, सीताराम पुत्रान् गणपतराम,1/18 पूरणमल पुत्र रामलाल, 1/18 प्रभुदयाल पुत्र रामलाल, 1/36 हिस्सा सूरजमल पुत्र ईश्वर, 1/36 हिस्सा श्रवण पुत्र ईश्वर तथा 1/36 हिस्सा बनवारी , मोहन पुत्रान अर्जुन 1/36 हिस्सा महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान् दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा है जिसमें सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/16, श्रवण पुत्री ईश्वर 1/16, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/16 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम, संतोष पत्नी बुद्धाराम का 1/16 हिस्सा, पूरण पुत्र रामू 1/8 हिस्सा, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगा। मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत का नाम हजफ होगा। खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा में सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/24 हिस्सा,श्रवण पुत्र ईश्वर 1/24 हिस्सा, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/24 हिस्सा,महिपाल,सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम 1/24 हिस्सा, पूरणमल पुत्र रामू 1/12, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज इसी अनुसार काबिज काश्त है इसमें भी मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलादसहाय,सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत को नाम हजफ होगा।शेष 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा में पूरणमल रामू 1/6 हिस्सा , प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/6 हिस्सा, मालीराम पुत्र कुशला 1/6 हिस्सा,प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार , सीताराम पुत्रान गणपत 1/6 हिस्सा,बनवारी,मोहन पुत्रान अर्जुन 1/12 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम 1/12 हिस्सा, सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/12, श्रवण पुत्र ईश्वर 1/12 हिस्सा दर्ज होगा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है व उक्त राजनीमा अनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कराने का आदेश हेतु निवेदन किया।

3. पक्षकार अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो वादी तथा प्रतिवादी की ओर से राजीनामा के आधार पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर व पत्रावली मे प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक उभय पक्षकारान के राजीनामे के आधार पर डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा जो राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है जिसमें मुताबिक राजीनामा अब 1/18 हिस्सा मालीराम पुत्र कुशला राम, 1/18 प्रहलाद, सुरेन्द्र कुमार, सीताराम पुत्रान् गणपतराम,1/18 पूरणमल पुत्र रामलाल, 1/18 प्रभुदयाल पुत्र रामलाल, 1/36 हिस्सा सूरजमल पुत्र ईश्वर, 1/36 हिस्सा श्रवण पुत्र ईश्वर तथा 1/36 हिस्सा बनवारी , मोहन पुत्रान अर्जुन 1/36 हिस्सा महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान् दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा है जिसमें सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/16, श्रवण पुत्री ईश्वर 1/16, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/16 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम, संतोष पत्नी बुद्धाराम का 1/16 हिस्सा, पूरण पुत्र रामू 1/8 हिस्सा, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगा। मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत का नाम हजफ होगा। खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा में सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/24 हिस्सा,श्रवण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

ईश्वर 1/24 हिस्सा, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/24 हिस्सा,महिपाल,सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुद्धाराम 1/24 हिस्सा, पूरणमल पुत्र रामू 1/12, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज इसी अनुसार काबिज काश्त है इसमें भी मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलादसहाय,सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत को नाम हजफ होगा।शेष 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा में पूरणमल रामू 1/6 हिस्सा , प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/6 हिस्सा, मालीराम पुत्र कुशला 1/6 हिस्सा,प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार , सीताराम पुत्रान गणपत 1/6 हिस्सा,बनवारी,मोहन पुत्रान अर्जुन 1/12 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम 1/12 हिस्सा, सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/12, श्रवण पुत्र ईश्वर 1/12 हिस्सा काश्तकार घोषित किया जाता है व उभय पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा निर्णय व डिक्री का हिस्सा होगा। पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक निर्णय डिक्री पालना हेतु तहसीलदार कि0 रेनवाल को तहरीर जारी हो।

निर्णय दिनांक....10.7.24...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कसवाल)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर.ए.एस.

1. सूरजमल पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल।

वादी

बनाम

1. पूरणमल पुत्र रामू जाति जाट
2. प्रभुदयाल पुत्र रामू
3. श्रीमति छोटी बेवा रामू
4. बनवारीलाल पुत्र अर्जुन
5. मोहनलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र अर्जुन
6. महिपाल पुत्र दानाराम
7. सुखाराम पुत्र दानाराम
8. बुद्धाराम पुत्र दानाराम
   - 8/1.सन्तोष उर्फ सन्तोषी पत्नी स्व बुद्धाराम
   - 8/2. मुकेश पुत्र स्व0 बुद्धाराम
   - 8/3. सुभाष पुत्र स्व बुद्धाराम
9. गुलाबचन्द पुत्र दानाराम
10. श्रीमति भवरीदेवी पुत्री दानाराम
11. श्रवण पुत्र ईश्वरराम
12. प्रहलाद पुत्र गणपत
13. सीताराम पुत्र गणपत
14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गणपत
15. मालीराम पुत्र कुशला

    समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा ग्राम पंचायत मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल
16. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा सांभर जरिये मैनेजर
17. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा जरिये मैनेजर
18. तहसीलदार महोदय तह0 कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं0 88/10 पुराना, 21/23 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अताउल्ला खां व हाजरी श्री हनुमान जाखड़ मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद साबित होने पर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक उभय पक्षकारान् के राजीनामो के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा जो राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है जिसमें मुताबिक राजीनामा अब 1/18 हिस्सा मालीराम पुत्र कुशला राम, 1/18 प्रहलाद, सुरेन्द्र कुमार, सीताराम पुत्रान् गणपतराम,1/18 पूरणमल पुत्र रामलाल, 1/18 प्रभुदयाल पुत्र रामलाल, 1/36 हिस्सा सूरजमल पुत्र ईश्वर, 1/36 हिस्सा श्रवण पुत्र ईश्वर तथा 1/36 हिस्सा बनवारी , मोहन पुत्रान अर्जुन 1/36 हिस्सा महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान् दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी अनुसार मौके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

पर काबिज काश्त है तथा 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा है जिसमें सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/16, श्रवण पुत्री ईश्वर 1/16, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/16 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम, संतोष पत्नी बुद्धाराम का 1/16 हिस्सा, पूरण पुत्र रामू 1/8 हिस्सा, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगा। मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत का नाम हजफ होगा। खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा में सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/24 हिस्सा,श्रवण पुत्र ईश्वर 1/24 हिस्सा, बनवारी, मोहन पुत्रान अर्जुन 1/24 हिस्सा,महिपाल,सुखाराम,गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुद्धाराम 1/24 हिस्सा, पूरणमल पुत्र रामू 1/12, प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज इसी अनुसार काबिज काश्त है इसमें भी मालीराम पुत्र कुशला व प्रहलादसहाय,सुरेन्द्र कुमार,सीताराम पुत्रान गणपत को नाम हजफ होगा।शेष 2/3 हिस्सा सहखातेदारो का यथावत रहेगा। खसरा नम्बर 68 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा में पूरणमल रामू 1/6 हिस्सा , प्रभुदयाल पुत्र रामू 1/6 हिस्सा, मालीराम पुत्र कुशला 1/6 हिस्सा,प्रहलाद सहाय, सुरेन्द्र कुमार , सीताराम पुत्रान गणपत 1/6 हिस्सा,बनवारी,मोहन पुत्रान अर्जुन 1/12 हिस्सा, महिपाल, सुखाराम, गुलाबचन्द पुत्रान दानाराम व संतोष पत्नी बुधाराम 1/12 हिस्सा, सूरजमल पुत्र ईश्वर 1/12, श्रवण पुत्र ईश्वर 1/12 हिस्सा काश्तकार घोषित किया जाता है व उभय पक्षकारन् द्वारा पेश राजीनामा निर्णय व डिक्री का हिस्सा है। प्रतिवादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी को निर्णय से प्राप्त आराजीयात् में किसी तरह से दखल अंदाजी नहीं करे व वादी को बेदखल नहीं करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 7 सन् 2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
(अभिमन्यु सिंह कुन्तल) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल